प्रेस नोट　　　पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद　　　दिनांक 21.04.2026

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा फर्जी नम्बर प्लेट लगी चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

आज दिनांक 21.04.2026 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 02 अभियुक्तगण 1.शाहनवाज पुत्र स्व0 सुलेमान निवासी पुराना मुस्तफाबाद 0 वर्ष 22 थाना गोकुलपुरी दिल्ली उम्र करीब2.समीर पुत्र अकबर अली निवासी अली याकूब मस्जिद के पास सरला विहार थाना अंकुर विहार गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष को सभापुर अण्डरपास के पास थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से थाना अंकुर विहार से चोरी की गयी फर्जी नम्बर प्लेट लगी मोटरसाइकिल बरामद हुई जिसके संबंध में थाना अंकुर विहार पर अन्तर्गत धारा 303(2) बीएनएस में चोरी का अभियोग पंजीकृत है । बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा (4)318/(3)345/(2)317 बीएनएस की वृद्धि की गई है। अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

पूछताछ करने पर अभियुक्तगण ने बताया कि हम दोनों ने मिलकर यह मोटरसाइकिल डीएलएफ अंकुर विहार से चोरी की थी तथा मोटरसाइकिल की आगे की नम्बर प्लेट हटा दी थी और पीछे की ओर दूसरी फर्जी नम्बर प्लेट लगायी जिससे हम पकडे न जा सके। आज हम इस मोटरसाइकिल से अन्य चोरी की घटना कारित करने के लिए निकले थे कि पुलिस चेकिंग में पकड़े गये।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1.शाहनवाज पुत्र स्वसुलेमान निवासी पुराना मुस्तफाबाद थाना गोकुलपुरी दिल्ली 0, उम्र करीब वर्ष 22।
2.समीर पुत्र अकबर अली निवासी अली याकूब मस्जिद के पास सरला विहार थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब वर्ष 20।

बरामदगी का विवरण-

चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्तगण पर उक्त मोटरसाइकिल चोरी के सम्बन्ध में थाना अंकुर विहार पर 01 अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त शाहनवाज पर थाना सोनिया विहार दिल्ली पर भी चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के अभियोग में वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार।

दिनांक 27.02.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादिया की प्राप्त तहरीर कि अभियुक्तगण 1.रंजू देवी पत्नी पुरूषोत्तम कुमार 2.नितिन पुत्र सुखवीर 3.सोमवीर पुत्र तिरखा 4.सुमित पुत्र सोमवीर 5.रामनिवास पुत्र बालिष्ठर निवासीगण ग्राम अगरौला थाना ट्रोनिका सिटी 6.आजाद पुत्र बाबू निवासी ग्राम खानपुर जप्ती थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद द्वारा एक राय होकर वादिया के निर्माण हुए प्लॉट खसरा नं0 202 ग्राम अगरौला को खाली कराने के उद्देश्य से जेसीबी से ध्वस्त कर देना, फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कराकर कब्जा कर लेना व गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर सुसंगत धारा-318(4)/338/336(3)/340(2)/324(4)/351(3)/352 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त में धारा 3(5) बीएनएस की वृद्धि की गयी तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 21.04.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्ता रंजू देवी पत्नी पुरुषोत्तम निवासी ग्राम अगरौला थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 36 वर्ष को थाना क्षेत्र ट्रोनिका सिटी से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्ता ने पूछताछ करने पर बताया कि मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर वादिया सीमा देवी के प्लाट के फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर प्लाट पर बनी बॉउन्ड्री वॉल को तोडकर प्लाट को विक्रय कर दिया था। जब सीमा देवी द्वारा प्लाट पर आकर इसका विरोध किया गया तो हम लोगों के द्वारा उसके साथ गाली गलौज करते हुए धमकी दी गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता -

रंजू देवी पत्नी पुरुषोत्तम निवासी ग्राम अगरौला थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 36 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्ता के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा मोबाइल स्नैचिंग करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 चोरी की मोटरसाइकिल व अलग-अलग कंपनियों के छीने गए 06 मोबाइल फोन बरामद।

दिनांक 21.04.2026 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मोबाइल फोन छीनने वाले अभियुक्तगण—(1) चाहत, पुत्र फुरकान, निवासी अल्लू सराय, थाना खुर्जा नगर, जनपद बुलंदशहर, उम्र लगभग 20 वर्ष और (2) फरदीन, पुत्र फराइन, निवासी अल्लू सराय, थाना खुर्जा नगर, जनपद बुलंदशहर, उम्र लगभग 19 वर्ष—को जल प्लांट के सामने, सनराइज विला कट, थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल (TVS RAIDER) व अलग-अलग कंपनियों के छीने गए 06 मोबाइल फोन बरामद हुए। उक्त बरामदगी के संबंध में थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर धारा 317(2) और 317(5) BNS के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण: पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि, "हमसे जो मोटरसाइकिल बरामद हुई है, वह हमने नोएडा से चोरी की थी। इसी मोटरसाइकिल से हम दिल्ली-NCR क्षेत्र में मोबाइल फोन छीनने का काम करते हैं। हमसे अलग-अलग कंपनियों के जो 06 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, वे हमने गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली में अलग-अलग जगहों पर राह चलते व्यक्तियों से छीने थे। आज हमें पैसों की जरूरत थी, इसलिए इन छीने हुए मोबाइल फोनों को बेचने आए थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम व पता:

1. चाहत, पुत्र फुरकान, निवासी अल्लू सराय, थाना खुर्जा नगर, जनपद बुलंदशहर (उम्र लगभग 20 वर्ष)।
2. फरदीन, पुत्र फराइन, निवासी अल्लू सराय, थाना खुर्जा नगर, जनपद बुलंदशहर (उम्र लगभग 19 वर्ष)।

बरामदगी का विवरण:

1.01 चोरी की मोटरसाइकिल (TVS RAIDER) - थाना फेस-3, गौतमबुद्ध नगर से संबंधित।

2.अलग-अलग कंपनियों के छीने गए 06 मोबाइल फोन।

आपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग: अभियुक्तों के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है व थाना फेस-3, गौतमबुद्ध नगर पर 01 चोरी का अभियोग पंजीकृत है। इनके अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम:

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

सर्विलांस टीम/स्वाट टीम ट्रांसहिण्डन व थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित 25 हजार रुपये का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरणः- आज दिनांक 21.04.2026 को स्वाट टीम/सर्विलांस टीम ट्रांसहिण्डन व थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित 25 हजार रुपये का इनामी 01 अभियुक्त गणेश पुत्र निरोतम सिह नि0 एनडीएमसी फ्लैट सरोजनी नगर मैट्रो के समाने थाना सरोजनी नगर दिल्ली मूल पता ग्राम राजौर थाना अनुपशहर जिला बुलन्दशहर उम्र करीब 25 वर्ष को कनावनी कट के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त गणेश उपरोक्त के विरुद्ध धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त गणेश उपरोक्त का थाना इन्दिरापुरम क्षेत्र में एक संगठित गिरोह है। जिसका गैग लीडर गणेश स्वयं है। अभियुक्त द्वारा अपने साथी के साथ मिलकर गैंग बनाकर अपने भौतिक व आर्थिक धन अर्जित करने के लिये लूट, चोरी जैसे जघन्य अपराध कारित किये गये है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

गणेश पुत्र निरोतम सिह नि0 एनडीएमसी फ्लैट सरोजनी नगर मैट्रो के समाने थाना सरोजनी नगर दिल्ली मूल पता ग्राम राजौर थाना अनुपशहर जिला बुलन्दशहर उम्र करीब 25 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त गणेश उपरोक्त के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर 02 अभियोग लूट करने, 02 अभियोग चोरी करने, 01 अभियोग पुलिस मुठभेड व 01 अभियोग गैंगस्टर एक्ट का कुल 06 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

सर्विलांस टीम/स्वाट टीम ट्रांसहिण्डन तथा थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा दहेज प्रतारणा व दहेज हत्या के अभियोग मे वांछित अभियुक्त पति व ससुर गिरफ्तार।

दिनांक 19.04.2026 को वादी श्री प्रेम कुमार झा पुत्र स्व0 राधाकान्त झा निवासी म0न0 197 गली न0 5 गोल्डन इण्डिय पब्लिक स्कूल सूर्या विहार पार्ट 2 भगवानपुर थाना पल्ला जनपद फरीदाबाद राज्य हरियाणा ने सूचना दी कि मेरी पुत्री रुपसी उम्र 25 वर्ष जिसका विवाह दिनांक 19.02.2026 को विपक्षी अभिनव कुमार झा पुत्र मनोज कुमार झा से हुआ था इनके द्वारा मेरी पुत्री से अतिरिक्त दहेज की मांग कर प्रताडित करना व दहेज न देने पर मेरी पुत्री रुपसी की हत्या करने के सम्बन्ध मे तहरीर दी जिस सूचना पर थाना नन्दग्राम पर तत्काल सुसंगत धाराओ मे मुकदमा पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण- उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, थाना स्तर पर टीमों का गठन कर घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरो व लोकल इनपुट की मदद से दिनांक 21.02.2026 को मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान मृतका के पति तथा ससुर अभियुक्तों को जीडी गोयनका कट थाना नन्दग्राम से गिरफ्तार किया गया, तथा मुकदमा मे शेष वांछित अभियुक्तगणो की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्तों का नाम व पता-

1-अभिनव कुमार झा पुत्र मनोज कुमार झा उम्र-28 वर्ष निवासी सी 527 हाई एण्ड पैराडाइज राजनगर एक्सटेंशन थाना नन्दग्राम गाजियाबाद

2-मनोज कुमार झा पुत्र सुदिष्ट नारायण झा उम्र- 51 वर्ष निवासी सी 527 हाई एण्ड पैराडाइज राजनगर एक्सटेंशन थाना नन्दग्राम गाजियाबाद

पूछताछ का विवरण- अभियुक्तों अभिनव कुमार झा व मनोज कुमार झां उपरोक्त से पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने अपने जुर्म का इकबाल करते हुए माफी मांगी तथा अपनी सफाई अपने अधिवक्ता से माध्यम से न्यायलय मे देना बताया।

गिरफ्तार करने वाली टीम—

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद।